आवंटन (9)
अनुदान संख्या–14(आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010600–24

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद– गोण्डा।

संख्याः 1/शा0/117/2016–1/76/2016 लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–14 (सामान्य) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–93/2016/2650/33–3–2016–100(12)/2014 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत जनपद बदांयू में रू0 59.888 लाख (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है को जनपद गोण्डा को **रू0 59.888 लाख (रू0 उन्सठ लाख अट्ठासी हजार आठ सौ मात्र)** की धनराशि पुर्नआवंटित किये जाने की अनुमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टर लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वंय अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/ बी0–1–746/दस–2016 –231/2016 दिनांक 22–03–2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशत्ता

प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या–10 में अकिंत धनराशि को छोड़तें हुए अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जाएगी।

5–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–101–पंचायती राज–06– सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24 –वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7– सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008– मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10–जनपद स्तर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी सस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02–02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी सस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले दो माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

11– जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाए।

12– किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10–03–2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–147 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/117/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
4. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी जनपद गोण्डा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद गोण्डा।
7. मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन, उ0प्र0।
8. श्री एस0 एन0 सिंह, उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
9. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

cc road 14-83 allotment 2016-17

संख्या–93/2016/2650/33–3–2016–100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 2016

विषयः– डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत चयनित जनपद–गोण्डा के नवीन ग्रामों में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या–14 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/4386/2016–5/129/2016, दिनांक 21.11.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत जनपद–बदायूं में रू. 59.888 (रू. साठ लाख में से 0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है तथा जनपद– गोण्डा से रू. 80.00 लाख की धनराशि आवंटित करने की मांग की गयी है। उक्त जनपद–बदायूं से प्राप्त धनराशि को पुनर्आवंटित किए जाने का प्रस्ताव निदेशक,पंचायतीराज द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत जनपद– बदायूं में रू. 59.888 (रू. साठ लाख में से 0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की हो रही बचत को जनपद– गोण्डा में रू. 59.888 लाख (रू. साठ लाख में से 0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) पुर्नआवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– उक्त पुर्नआवंटन की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि उक्त धनराशि वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में जारी शासनादेश से आवंटित थी। इस धनराशि की द्वितीय पुनरावृत्ति की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015–16 की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा एवं बदांयू।
5. मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, गोण्डा एवं बदांयू।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
8. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-24/11/2016

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:- 019-76-2016

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	5988800	5988800
		प्रगामी	77854600	77854600
	योग	वर्तमान	5988800	5988800
		प्रगामी	77854600	77854600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनसठ लाख अठासी हजार आठ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ अठहत्तर लाख चौवन हजार छः सौ

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0

अनुदान संख्या–14 (एस0सी0पी0 हेतु)

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपद को कुल आवंटित धनराशि	सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यअंश 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनरशि	कॉलम संख्या 4+5 का योग	कॉलम संख्या 4 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टेन्जेन्सी					सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तवित धनराशि	कुल आंवटित धनराशि
						आर0ई0ए स0 हेतु 1.50 प्रतिशत	मण्डलीय उप निदेशक पंचायत स्तर पर 0.10 प्रतिशत	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर 0.10 प्रतिशत	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर 0.10 प्रतिशत	कॉलम संख्या 7+8+9+10 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गोण्डा	60.000	55.875	4.125	60.000	0.838	0.056	0.056	0.056	1.006	54.757	59.888
	निदेशालय											0.000
	योग	60.000	55.875	4.125	60.000	0.838	0.056	0.056	0.056	1.006	54.757	59.888

(एस0 एन0 सिंह)
उप निदेशक (नियोजन)
पंचायती राज, उ0प्र0